

जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के निदेशक मण्डल की 23वीं बैठक जो दिनांक
20.12.2017 को सम्पन्न हुई, का कार्यवृत्त।

उपस्थिति

- 1- श्री बी०एस० तिवारी
- 2- श्री सुधांशु द्विवेदी
- 3- श्री सुबीर चकवर्ती
- 4- श्री संजय तिवारी

निदेशक (बैठक के अध्यक्ष)
निदेशक
निदेशक
निदेशक

सहायतार्थ

श्री प्रदीप सोनी

कम्पनी सचिव

लीव ऑफ एब्सेन्स

श्री कामरान रिजवी (अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक) अन्य व्यस्तता के कारण बैठक में भाग नहीं ले सके, को लीव ऑफ एब्सेन्स प्रदान किया गया। उपस्थित सदस्यों ने बैठक की अध्यक्षता करने हेतु श्री बी०एस० तिवारी, निदेशक (तकनीकी) को अध्यक्ष चुना। तदोपरान्त श्री बी०एस० तिवारी की अध्यक्षता में बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

क्रम	एजेण्डा आइटम	लिया गया निर्णय
1	जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि० में निदेशक की नियुक्ति एवं निगम के निदेशकों के प्रपत्र सं० एम०बी०पी०-१, डी०आई०आर०-८ एवं डी०आई०आर०-२ रिकार्ड पर लिये जाने के सम्बन्ध में।	<p>निदेशक मण्डल ने निदेशकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में निम्न प्रस्ताव पारित किये :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निदेशक मण्डल ने निदेशक (परियोजना एवं वाणिज्य) के पद पर श्री सुबीर चकवर्ती द्वारा उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० का कार्यभार दिनांक 14.08.2017 को ग्रहण करने की सूचना को संज्ञान में लेते हुए उनका जवाहरपुर के निदेशक मण्डल में दिनांक 14.08.2017 से निदेशक के रूप में स्वागत किया। 2. निदेशक मण्डल ने श्री संजय तिवारी द्वारा उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० में निदेशक (का०प्र० एवं प्रश्ना०) के पद पर दिनांक 10.10.2017 को कार्यभार ग्रहण किये जाने की सूचना संज्ञान में लेते हुए उनका जवाहरपुर के निदेशक मण्डल में दिनांक 10.10.2017 से निदेशक के रूप में स्वागत किया। 3. निदेशक मण्डल ने श्री अटुल निगम, निदेशक के दिनांक 24.06.2017 से अवमुक्त होने की सूचना संज्ञान में लेते हुए उ.प्र.रा.वि.ज.नि.लि. का एक अंश श्री संजय तिवारी, निदेशक के

CHAIRMAN'S
INITIAL

MINUTE BOOK

		<p>नाम हस्तांतरित करने का अनुमोदन प्रदान किया।</p> <p>4. निदेशक मण्डल ने श्री एच०क० अग्रवाल के नाम निगम का एक अंश श्री प्रदीप सोनी के नाम हस्तांतरित करने का अनुमोदन प्रदान किया।</p> <p>5. निदेशक मण्डल ने श्री सुबीर चकवर्ती, निदेशक (डिन 07942416) श्री संजय तिवारी, निदेशक (डिन 08009128) द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र सं० एम०बी०पी०-१, डी०आई०आर०-८ एवं डी०आई०आर०-२ को रिकार्ड पर लिया।</p>
2	निगम के निदेशक मण्डल की 22वीं बैठक जो दिनांक 23.08.2017 को सम्पन्न हुई, की कार्यवाही की पुष्टि।	निदेशक मण्डल ने 22वीं बैठक जो दिनांक 23.08.2017 को सम्पन्न हुई, के प्रस्तुत कार्यवृत्त का पुष्टिकरण किया।
3	कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 203 के अन्तर्गत निगम में चीफ फाइनेन्सियल आफीसर मनोनीत किये जाने के सम्बन्ध में।	निदेशक मण्डल ने श्री के०सी० पाण्डेय, महा प्रबन्धक (सम्प्रेक्षा) के स्थान पर श्री एम०सी० पाल, मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त) को कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 203 के अन्तर्गत चीफ फाइनेन्सियल आफीसर मनोनीत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया।
4	2X660 मेगावाट जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि० में केन्द्रीय उत्पादन एवं सीमा शुल्क बोर्ड को किये जाने वाले आवेदन हेतु अधिकारी को अधिकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	निदेशक मण्डल ने श्री अशोक सक्सेना, अधीक्षण अभियन्ता-॥ पीपीएमएम इकाई को निगम के पत्र दिनांक 28.11.2017 द्वारा नामित एवं अधिगृहित किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया।
5	<p><u>एजेण्डा आइटम</u></p> <p>जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि० के वित्तीय वर्ष 2017-18 के वैधानिक सम्प्रेक्षक की नियुक्ति एवं उनकी सम्प्रेक्षा फीस के अनुमोदन के सम्बन्ध में।</p> <p><u>लिया गया निर्णय</u></p> <p>निदेशक मण्डल से ने वैधानिक सम्प्रेक्षकों की नियुक्ति हेतु निम्न संकल्प पारित किये -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. संकल्प लिया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के वार्षिक लेखों की वैधानिक सम्प्रेक्षा हेतु नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली के पत्रांक CA.V/COY/UTTAR PRADESH JAWVID(1)/678 दिनांक 08.08.2017 के द्वारा नियुक्त किये गये वैधानिक सम्प्रेक्षक की 	


CHAIRMAN'S
INITIAL

MINUTE BOOK

000/201

नियुक्ति उनके सम्मुख अंकित सम्प्रेक्षा शुल्क पर किये जाने के सम्बन्ध में निम्नवत् अनुमोदन प्रदान किया :-

संवैधानिक सम्प्रेक्षक	परियोजना/इकाई जिसके लिए सम्प्रेक्षक नियुक्त किया गया है।	सम्प्रेक्षा शुल्क (जी0 एस0 टी0 अतिरिक्त देय है) (रु0 में)
राजीव नंदन एण्ड कम्पनी (CR0713) 301-A, द्वितीय तल, गोविन्द अपार्टमेन्ट 1-A, शाहनजफ रोड,	मुख्यालय, लखनऊ	रु0 16500.00


2. पुनः संकल्प लिया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वैधानिक सम्प्रेक्षक की नियुक्ति एवं उनकी फीस का अनुमोदन कम्पनी अधिनियम के प्राविधानों के तहत अंशधारियों की वार्षिक सभा से भी प्राप्त कर लिया जाये।

6	<p>मैसर्स पावर फाइनेंस कारपोरेशन लि0 द्वारा (2X660 मेगावाट) जवाहरपुर तापीय परियोजना हेतु स्वीकृत ऋण रु0 (6303.13) 3151.56+3151.57 करोड़ में रु0 2149.88 करोड़ की ऋण वृद्धि हेतु निदेशक मण्डल के अनुमोदनार्थ प्रस्ताव।</p>	<p>निदेशक मण्डल ने प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करते हुए निम्न संकल्प पारित किये :-</p> <p>1. संकल्प लिया गया कि- 2x660 मेगावाट जवाहरपुर तापीय विद्युत गृह के निर्माण हेतु मैसर्स पावर फाइनेंस कारपोरेशन लि0 के पत्रांक 03/22/NR/UP/JVUNL/Jawaharpur TPS/Vol-1/ J2301001/ 037586 दिनांक 05.04.2016 सप्तित पत्र सं0 03/22/NR/UP/JVUNL/Jawaharpur TPS/Vol-1/J2301001 दिनांक 03.05.2016, पत्र सं0 03/22/NR/UP/JVUNL/Jawaharpur TPS/Vol-1/J2301001/039401 दिनांक 13.06.2016, पत्र सं0 03/22/NR/UP/JVUNL/Jawaharpur TPS/Vol-1/J2301001/039404 दिनांक 09.05.2017 पत्र सं0 03/22/NR/UP/JVUNL/Jawaharpur TPS/Vol-1/J2301001 एवं सहमति द्वारा रवीकृत रु0 2149.88 करोड़ का ऋण (ऋण संख्या J2301001) उसमें निहित नियम एवं शर्तों पर आहरित करने का अनुमोदन प्रदान किया।</p> <p>2. संकल्प लिया गया कि -जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के आय-व्ययक अनुमान में उक्त परियोजना हेतु पर्याप्त</p>
---	---	--


CHAIRMAN'S INITIAL

MINUTE BOOK

	<p>धनराशि वर्ष 2016-17 से 2031-32 तक प्राविधानित की जायेगी तथा ऋण के पूर्णभुगतान एवं ब्याज/ब्याज कर तथा अन्य व्ययों के भुगतान हेतु समुचित प्राविधान सम्बन्धित वर्षों के आय-व्ययकों में किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया।</p> <p>3. पुनः संकल्प लिया गया कि - उक्त ऋण से सम्बन्धित समस्त प्राविधिक सूचनाएँ, ऑँकड़े, सूचियाँ एवं योजना के लिये सामग्री तथा उपकरणों की सूची, क्लेम निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने एवं योजना के समय क्रियान्वयन हेतु अधीक्षण अभियन्ता एवं तदुपरि स्तर के अभियन्ता को नोडल अधिकारी के रूप में नामांकन हेतु प्रबन्ध निदेशक को अधिकृत किया।</p> <p>4. पुनः संकल्प लिया गया कि - उक्त ऋण पूर्ण रूप से राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति होगा जिसके लिये उ0प्र० शासन द्वारा गारण्टी डीड/बॉण्ड एकजीक्यूट किया जायेगा।</p> <p>5. पुनः संकल्प लिया गया कि - राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति जारी करने पर जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिंग द्वारा जारी की जाने वाली काउन्टर गारण्टी को इस्ताक्षर करने हेतु कम्पनी सचिव को अधिकृत किया।</p> <p>6. पुनः संकल्प लिया गया कि - मेमोरेण्डम ऑफ एग्रीमेन्ट निष्पादन के समय तथा ऋण तथा अन्य देयों के पूर्ण भुगतान तक जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिंग का परियोजना पर फिजिकल पोजेशन तथा स्वामित्व रहेगा।</p> <p>7. पुनः संकल्प लिया गया कि - उक्त ऋण अनुमोदित वार्षिक योजना प्राविधानों के अनुसार शासकीय बजट प्राविधान के अतिरिक्त होगा।</p> <p>8. पुनः संकल्प लिया गया कि - 2X660 मेंगावाट जवाहरपुर विद्युत तापीय विद्युत गृह के निर्माण कार्य हेतु उक्त ऋण से सम्बन्धित कार्यों को निर्धारित समय के अन्दर पूर्ण कराने हेतु एक टारक फोर्स के</p>
--	--


CHAIRMAN'S
INITIAL

		<p>गठन हेतु प्रबन्ध निदेशक को अधिकृत किया।</p> <p>9. पुनः संकल्प लिया गया कि— मैसर्स पावर फाइनेंस कारपोरेशन लि० द्वारा निर्धारित शर्तों तथा समस्त वित्तीय प्रारूपों को स्वीकार करते हुये जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि० तथा पादर फाइनेंस कारपोरेशन लि० के मध्य ऋण आहरण तथा अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने हेतु निदेशक (वित्त) / प्रबन्ध निदेशक, जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि० द्वारा नामित अधिकारी को अधिकृत किया।</p> <p>10. पुनः संकल्प लिया गया कि— यथा आवश्यकतानुसार यदि निगम की कॉमनसील अनुबन्ध पत्रों पर अंकित की जानी हो, उस स्थिति में निगम के आर्टिकल ३०५ एसोसिएशन के आर्टिकल 128 में निहित प्राविधान के अनुसार सील लगाने हेतु कम्पनी सचिव एवं निदेशक (वित्त) / प्रबन्ध निदेशक को अधिकृत किया।</p>
7	2X660 मेगावाट जवाहरपुर तापीय परियोजना की जलापूर्ति हेतु सिंचाई विभाग की कार्य योजना जिसकी कुल संशोधित लागत ₹० 261.00 करोड़ है, के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	<p>निदेशक मण्डल ने 2X660 मेगावाट जवाहरपुर तापीय परियोजना की जलापूर्ति हेतु सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तुत कार्य योजना जिसके अन्तर्गत बेबर शाखा एवं मलावन राजवाहा की रीमॉडलिंग का कार्य, कच्चे अयार नाले का नव निर्माण, मलावन नाले की रीमॉडलिंग, सप्लाई चैनल का निर्माण तथा सप्लाई चैनल हेतु भूमि के अधिग्रहण का कार्य सम्पादित है, जिसकी कुल लागत ₹० 261.00 करोड़ है, का एवं सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तावित धन निर्गमन शिड्यूल के अनुसार धन निर्गमन का अनुमोदन प्रदान किया।</p> <p>निदेशक मण्डल ने यह भी निर्देश दिया कि उपरोक्त के सम्बन्ध में बढ़ी हुई लागत को कुल परियोजना लागत में समाहित करते हुए ००प्र० शासन से अनुमोदन हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जाए।</p>
8	जवाहरपुर 2X660 मेगावाट तापीय परियोजना की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में।	<p>निदेशक मण्डल ने जवाहरपुर 2X660 मेगावाट तापीय परियोजना की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में प्रस्तुत सूचना संज्ञान में लिया।</p>
9	जवाहरपुर 2X660 मेगावाट तापीय परियोजना पर तैनात अधिकारियों को विशेष नगर प्रतिकर भत्ता दिये जाने के	<p>निदेशक मण्डल ने जवाहरपुर 2X660 मेगावाट तापीय परियोजना पर तैनात अधिकारियों को विशेष नगर प्रतिकर भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में निम्न संकल्प</p>



 CHAIRMAN'S
INITIAL

MINUTE BOOK

	सम्बन्ध में।	प्राप्ति विषय-
		<ol style="list-style-type: none"> निदेशक पर आवासीय कालोनी एवं अन्य सराजनों की पूर्णरूपेण उपलब्धता तक निर्माण कार्य में लगे निगम के नियमित अधिकारी/कार्यिक जो वर्तमान में एटा/मलावन में रह रहे हैं को प्रतिमाह रु0 3000.00 का विशेष नगर प्रतिकर भत्ता देने का अनुमोदन प्रदान किया। निदेशक मण्डल ने साथ ही यह भी निर्णय लिया कि उपरोक्त विशेष नगर प्रतिकर भत्ता एक वर्ष अथवा गेरस्ट हाउस/फिल्ड हारटल के निर्माता हो जाने तक, इनमें से जो भी घटने हो तक ही दिया जायेगा।
10	जवाहरपुर मे निदेशक मण्डल को उप-समिति के गठन के सम्बन्ध मे जारी कार्यालय ज्ञाप के सम्बन्ध मे।	निदेशक मण्डल ने निदेशक मण्डल की उप-समिति के गठन के सम्बन्ध मे जारी कार्यालय ज्ञाप सं0 अन्धिय/सं.निर्मिति/जी-3/349 दिनांक 15.12.2017 का कार्यालय अनुमोदन प्रदान किया।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देते हुए समाप्त हुई।

बैठक सांय 4:00 बजे प्रारम्भ होकर सांय 4:30 बजे समाप्त हुई।

दिनांक : 30.12.2017

(बी०एस० तिवारी)
बैठक के अध्यक्ष

CHAIRMAN'S
INITIAL